न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 08 / 2018
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

विक्रमसिंह आत्मज श्री नाजमसिंह आत्मज श्री दलीपसिंह, जटसिख, चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर. .....**आवेदक**

बनाम

नाजमसिंह आयु 58 वर्ष आत्मज श्री दलीपसिंह जटसिख, चक 6 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर. .....**अनावेदक**

उपस्थिति– श्री मोहनलाल माहर (आवेदक)
श्री शिवभगवान (अनावेदक)

दिनांक 25 अक्तूबर, 2018

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 6 एल.एल. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3, 7, 49 के 24.10 बीघा कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 8(0.05), किला नम्बर 9 से 11(3.00), किला नम्बर 20 से 23(4.00) कुल 7.05 बीघा कृषि भूमि अनावेदक के पिता श्री दलीपसिंह द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता द्वारा अपनी अथक मेहनत एवं प्रयासों से पैतृक कृषि भूमि की आय से अपने अव्यस्क पुत्र श्री दलीपसिंह (आवेदक के पिता एवं अनावेदक) के नाम पर विक्रय विलेख दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 को क्रय की गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 86 दर्ज किया गया. श्री होंदाराम के चक 6 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 व 22 की 24.10 बीघा में से आवेदक द्वारा श्री जसवन्तसिंह से 1.05 बीघा तथा श्री बलवन्तसिंह द्वारा 1.05 बीघा कृषि भूमि क्रय की गयी. जिसका नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 31 जनवरी, 1979 दर्ज किया गया. संयुक्त हिन्दू परिवार की आय, अथक मेहनत एवं प्रयासों से आवेदक के पिता के अव्यस्क काल में ही चक 6 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 की 12.00 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 22 की 12.10 बीघा कुल 24.10 बीघा में से अनावेदक के नाम 440 हिस्सा में से 200 हिस्सा अर्थात 10.00 बीघा कृषि भूमि विक्रय विलेख दिनांक 28 फरवरी, 1980 द्वारा क्रय की गयी. जिसका नामान्तरकरण संख्या 10 मई, 1983 को दर्ज किया गया. अनावेदक द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की व्यवस्था एवं कृषि भूमि के एकीकरण करने एवं अधिक उत्पादन के लिये अपने भाईयों सर्वश्री बलवन्तसिंह, श्री जसवन्तसिंह से पंजीकृत तबादलानामा दिनांक 2 मई, 1981 को किया गया जिसके आधार पर आवेदक के पिता को चक 6 एल.एल. के संयुक्त खाता संख्या 34 / 86 मुरब्बा नम्बर 21 व 22 की 24.10 बीघा कृषि भूमि में से 2.529 हैकटर, खाता संख्या 53 / 16 के मुरब्बा नम्बर 22(1.584) हैक्टर, संयुक्त खाता संख्या 102 / 93 मुरब्बा नम्बर 3, 7, 49(6.187) में से 1.897 हैक्टर प्राप्त हुई. इस प्रकार आवेदक के पिता को 2.259+1.587+1.879

सहायक कलक्टर एवं
पदेन कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कुल 6.007 हैक्टर कृषि भूमि उनके अव्यस्क समय में ही क्रय की गयी. जो पैतृक सम्पत्ति है जिसमें आवेदक के पिता के जीवनकाल में आवेदक का हक व अधिकार बनता है इसलिये आवेदक अपने ½ हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है. आवेदक एवं अनावेदक पिता–पुत्र होने के कारण अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज काश्त हैं. आवेदक को खाता संख्या 34/86 की 2.529 हैक्टर कृषि भूमि दी गयी है जिस पर आवेदक काबिज काश्त है तथा आवेदक पढा–लिखा अग्रिम काश्तकारी व्यवसाय करता है. राजस्व अभिलेखों में अनावेदक के नाम पर कृषि भूमि दर्ज होने से ऋण, के.सी.सी. सुविधाऐं प्राप्त करने में भारी परेशानी होती है. कृषि भूमि अनावेदक के नाम पर दर्ज होने से सदैव भय बना रहता है कि अनावेदक उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बंधक, विक्रय अथवा अन्तरित कर सकता है. पृथम दृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में है. अनावेदक अपने नाम पर दर्ज कुल 6.007 हैक्टर कृषि भूमि में आवेदक का ½ हिस्सा पर कब्जा काश्त है जिसमें अनावेदक आवेदक के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने में प्रयासरत है, यदि वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी. इस प्रकार आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्व उसके नाम पर दर्ज कुल 6.007 हैक्टर कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 6 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, चक 6 एल एल के नामान्तरकरण संख्या 86, चक 6 एल एल के नामान्तरकरण संख्या 87, चक 6 एल एल के नामान्तरकरण संख्या 130, चक 6 एल एल के नामान्तरकरण संख्या 118 एवं चक 6 एल एल के नामान्तरकरण संख्या 32 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक अधिवक्ता के माध्मम से उपस्थित.

जवाब आवेदनपत्र हेतु नियमानुसार अवसर दिये जाने पर जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही करने पर आदेश दिनांक 20 मार्च, 2018 द्वारा जवाब आवेदनपत्र हेतु अन्तिम अवसर दिया गया तदोपरान्त भी जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किये जाने के परिणामतः आदेश दिनांक 4 अप्रेल, 2018 द्वारा जवाब आवेदनपत्र बन्द किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादपत्र के अभिवचनो के अनुसार अनावेदक द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की व्यवस्था एवं कृषि भूमि के एकीकरण करने एवं अधिक उत्पादन के लिये अपने भाईयों सर्वश्री बलवन्तसिंह, श्री जसवन्तसिंह से पंजीकृत तबादलानामा दिनांक 2 मई, 1981 को किया गया जिसके आधार पर

आवेदक के पिता को चक 6 एल.एल. की कुल 6.007 हैक्टर कृषि भूमि उनके अव्यस्क समय में ही क्रय की गयी. किन्तु वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में कथित पंजीकृत तबादलानामा दिनांक 2 मई, 1981 प्रस्तुत नही किया गया है जिसके लिये वादपत्र में अभिलेखीय साक्ष्य आवश्यक हैं किन्तु प्रस्तुत अभिवचनों के अनुसार उक्त कृषि भूमि पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की होने के साथ साथ प्रस्तुत वंशावली के अनुसार आवेदक अनावेदक के नाम पर दर्ज चक 6 एल.एल. की कुल 6.007 हैक्टर कृषि भूमि को वाद के विचारणकाल में यदि किसी भी प्रकार से अन्तरित करता है तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है. इस प्रकार प्रथम दृष्टया वादकरण एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू आवेदक के पक्ष में पाया जाता है.

अतः आवेदनपत्र स्वीकार किया कर आदेश दिया जाता है कि अनावेदक, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 6 एल.एल. के संयुक्त खाता संख्या 34/86 मुरब्बा नम्बर 21 व 22 की 24.10 बीघा कृषि भूमि में से 2.529 हैकटर, खाता संख्या 53/16 के मुरब्बा नम्बर 22(1.581) हैक्टर, संयुक्त खाता संख्या 102/93 मुरब्बा नम्बर 3, 7, 49(6.187) में से 1.897 हैक्टर प्राप्त हुई. इस प्रकार आवेदक के पिता को 2.259+1.587+1.879 कुल 6.007 हैक्टर कृषि भूमि में से ½ हिस्सा कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों की स्थिति को यथावत कायम रखें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर